

मुख्यमंत्री ने राजस्थान समिट में हुए विभिन्न एम.ओ.यू. की समीक्षा बैठक की

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि निवेशकों की अपेक्षाओं की पूर्ति हमारी जिम्मेदारी है

जयपुर, 13 मई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2030 तक 350 बिलियन डॉलर बनाना हमारी सरकार का लक्ष्य है। इसकी प्रगति पर राज्रिंज राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत हस्ताक्षरित एमओयू की समयबद्ध क्रियान्विति मील का पत्थर साबित हो रही है। समिट के

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिये कि जिला कलैक्टर बेहतर सामंजस्य के साथ एम.ओ.यू. की क्रियान्विति को सुनिश्चित करें।

अन्तर्गत, लगभग 37 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए हैं, जिनमें से 3 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौते धरातल पर भी उतर चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे संबंधित निवेशकों से निरंतर संवाद कर उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करें।

शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्रिंज राजस्थान समिट में पर्यटन, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, वस्त्र एवं परिधान,

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव, ढाणी से लेकर कस्बों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ िकरण हमारी सरकार का प्रमुख ध्येय है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में युवाओं के लिए भी कैरियर के सुनहरे अवसर हैं। मुख्यमंत्री ने ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक व्हीकल क्षेत्र में हुए एमओयू के क्रियान्वयन की समीक्षा के दौरान कहा कि प्राकृतिक संसाधनों की सीमांमिता के कारण वर्तमान समय में इलेक्ट्रिक वाहनों की उपयोगिता बढ़ ती



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्रिंज राजस्थान समिट में हुए एमओयू की प्रगति की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि जिला कलैक्टर निवेशकों को जमीनों के सभी संभव विकल्पों का मौका मुआयना भी कराएं।

जा रही है। बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत एवं विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी

तथा संबंधित निवेशक उपस्थित रहे। साथ ही, विभिन्न जिला कलैक्टर वीसी के माध्यम से जुड़े।

जिंदा बम प्रकरण...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) अन्य को मिली फांसी की सजा को हाईकोर्ट ने रद्द कर उन्हें भी दोषमुक्त किया था। इसके बावजूद भी समान मामले में विशेष न्यायालय ने गत 8 अप्रैल को याचिकाकर्ता सहित तीन अन्य को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी। याचिका में इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया कि जिंदा बम का मामला मूल मामले से अलग नहीं है। घटना में किसी तरह की जनहानि भी नहीं हुई है। उस पर आरोप था कि उसने धमाकों के बाद टीवी चैनल को ईमेल भेजकर जिम्मेदारी ली थी। समान आरोप से विशेष न्यायालय ने उसे बरी कर दिया था। ऐसे में अब उसे जिंदा बम के मामले में सजा नहीं दी जा सकती। इसलिए विशेष न्यायालय के आदेश को रद्द कर उसे दोषमुक्त किया जाए। मामले पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए निचली अदालत से रिकॉर्ड तलब किया है।

गौरतलब है कि 13 मई, 2008 को शहर में विभिन्न स्थानों पर कुल 8 बम ब्लास्ट हुए थे। चांदपोल हनुमान मंदिर के पास एक बम जिंदा मिला था। मामले में विशेष न्यायालय ने 18 दिसंबर, 2019 को शाहबाज हुसैन को बरी करते हुए स्पष्ट चार अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने मार्च 2023 को चारों आरोपियों की सजा को रद्द कर दिया था।

पाक उच्चायोग का अफसर भारत से निष्कासित

नयी दिल्ली, 13 मई। भारत ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी को अवांछित घोषित करते हुए 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने के लिए कहा है।

विदेश मंत्रालय ने आज यहां बताया कि भारत सरकार ने नयी दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में काम करने वाले एक पाकिस्तानी अधिकारी को भारत में उसकी आधिकारिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए गतिविधियों में शामिल होने के लिए गैर-आकलन व्यक्ति घोषित किया है।

विदेश मंत्रालय के अनुसार अधिकारी को 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को आज इस आशय का आदेश जारी किया गया।

भारत-पाक युद्ध ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

युद्धपोत और वो अब अमेरिका की वैश्विक शक्ति को चुनौती दे रहे हैं। एक महाशक्ति चुनौती में है और एक नई महाशक्ति उस हटाकर उसकी जगह लेने की तैयारी में।

अब इन दोनों स्थितियों की तुलना कीजिए: एक ओर है मध्ययुगीन युद्ध, और दूसरी ओर एक आर्थिक युद्ध, जो धीरे-धीरे भू-राजनीतिक संघर्ष में बदल रहा है। दो अलग अवधारणाएं। दो अलग युद्ध। लेकिन दोनों ही उनसे ही खतरनाक हैं।

क्योंकि यह मध्ययुगीन युद्ध अब तीर-तलवार और भाले से नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि इक्कीसवीं सदी के अत्याधुनिक घातक हथियारों से लड़ा जा रहा है। इसी विशेष संदर्भ में, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दुविधा यह रही कि उन्हें भारत की स्थिति को, बिना पूरी सच्चाई बताए, समझाना पड़ रहा था। वे देशवासियों को आश्वस्त कर रहे थे कि युद्धविराम कोई बाहरी निर्णय नहीं था।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोट्टी शांतिंग सेंटर, टॉक रोड, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एफ. आई. नं.3641/57, ई-मेल-rastrdutr@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायका हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, फैक्स: 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाभा हाउस, हनुमान हव्वा, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-चूषा घाटी, जयपुर रोड,अजमेरा फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस प्रथम, जालौर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चुरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चुरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908

70 देशों के राजनयिकों को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी

नयी दिल्ली, 13 मई। भारत ने 70 देशों के राजनयिकों को आज यहां ऑपरेशन सिंदूर के सफल संचालन के बारे में विस्तार से जानकारी दी और पाकिस्तान द्वारा चलाये गये दुष्प्रचार का भी पर्दाफाश किया।

एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय में मंगलवार को यहां बताया कि रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल डी एस राणा ने भारत-पाकिस्तान संबंधों में नए मानदंड स्थापित करने वाले ऑपरेशन सिंदूर के सफल संचालन के बारे में जानकारी दी।

- वार्ता में भारत ने पाकिस्तान के दुष्प्रचार का पर्दाफाश किया।

उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन में नएयुग के युद्ध में सैन्य श्रेष्ठता के माध्यम से भारत की शक्ति और राष्ट्रीय संकल्प का प्रदर्शन किया गया।

बातचीत के दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी हथियारों की युद्ध प्रभावशीलता के साथ संयुक्तता और एकीकरण के माध्यम से हासिल समन्वित बल प्रयोग पर भी प्रकाश डाला गया। उन्होंने पाकिस्तान के द्वारा चलाए जा रहे भारत विरोधी दुष्प्रचार अभियान और क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता पर इसके प्रभाव का की भी जानकारी दी।

भारत-पाक युद्ध को अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) विदर्बना यह है कि न्यूक्लियर डिटर्रेंस (परमाणु निरोध) का अस्तित्व ही मीडिया के इस रुख का कारण है। संपादक यह मानकर चलते हैं कि दोनों पक्ष युद्ध से पहले ही पीछे हट जाएंगे, जैसा कि अतीत में होता आया है। लेकिन पश्चिमी सैन्य हस्तक्षेप है, और न ही आर्थिक दृष्टि से कोई बड़ा प्रभाव। इसलिए पश्चिमी मीडिया की संपादकीय टीमों को लगता है कि इस क्षेत्र की खबरें उनके पाठकों और दर्शकों से जुड़ाव नहीं बना पाएंगी। जब मिसाइलें चलती हैं तो एक छोटी सी रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र या अमेरिका का कोई बयान, और फिर चुप्पी।

‘ऑपरेशन सिंदूर अब भारत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) भी पर्दाफाश कर दिया जिसमें इस प्रणाली को नष्ट करने का दावा किया गया था।

वायु यौद्धाओं के निरंतर भारत माता की जयघोष के बीच मोदी ने जमकर सराहना की और कहा कि उनकी वीरता और गौरव की कहानी ऑपरेशन सिंदूर की गूंज अब दुनिया भर में सुनाई दे रही है।

मोदी ने एक्स पर लिखा, आज सुबह, मैं एएफएस आदमपुर गया और हमारे बहादुर वायु योद्धाओं और सैनिकों से मिला। साहस, दृढ़ संकल्प और निडरता के प्रतीक उन लोगों के साथ

‘भारतीय सेना और हथियारों की ताकत ने पाकिस्तान को मजबूर किया, युद्ध रोकने के लिए’

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देते हुए कहा कि इसमें ट्रंप की कोई भूमिका नहीं थी

- प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि 7 मई को ऑपरेशन शुरू होने से 10 मई को गोलीबारी बंद करने की सहमति बनने तक अमेरिका से सैन्य स्थिति पर बातचीत हुई थी, ट्रेंड का मुद्दा नहीं उठा था।

भारत एवं पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने का फैसला पाकिस्तान की पहल पर दोनों देशों ने द्विपक्षीय रूप से लिया है और इसमें किसी भी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। यह सिर्फ भारतीय सैन्य कार्रवाई की ताकत से

भारत-पाक युद्ध ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

संभव हो पाया। जायसवाल ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणियों पर पृष्ठ गये सवालों के जवाब में कहा कि 07 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से लेकर 10 मई को गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद करने पर सहमति बनने तक, भारत

मध्यस्थता की थी, जिसके बारे में विपक्ष ने प्रश्न खड़े करना शुरू कर दिया है।

थरूर ने कहा कि हो सकता है कि अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने हमारे विदेश मंत्री से फोन पर बात की हो। और उसके बाद, पाकिस्तान से बात की हो, और पाकिस्तान से कह दिया हो कि देखिये, अगर आप (पाकिस्तान) ऐसा नहीं करेंगे तो वे (भारत) भी वैसा नहीं करेंगे। यह तो कोई मध्यस्थता नहीं है। थरूर ने कहा, “मध्यस्थता तो तब होती, जब जयशंकर ने रूखियों को फोन करके कहा होता कि क्या आप पाकिस्तान से ऐसा कह देंगे? और मैं ऐसा नहीं मानता कि भारत ने ऐसा किया होगा।”

थरूर इस मुद्दे पर कोई ठोस जानकारी प्राप्त किये बिना ही यह सब कुछ मान रहे हैं।

ये ऐसे प्रश्न हैं, जिनके उत्तर भारत सरकार को देने चाहिए, जैसे पहलवान हमले में शामिल उन चार आतंकियों का क्या हुआ, जिनमें से तीन की तो भारतीय एजेंसियों ने पहचान कर ली थी। थरूर ने कहा कि भारत को कम से कम एक

जस्टिस बी.आर. गवई आज सीजेआई पद की शपथ लेंगे

सीजेआई की कुर्सी तक पहुँचने वाले वे अनुसूचित जाति के दूसरे व्यक्ति हैं

- जस्टिस के.जी. बालकृष्णन अनुसूचित जाति के पहले सदस्य थे जो सीजेआई बने थे।
- जस्टिस संजीव खन्ना मंगलवार को सीजेआई पद से सेवानिवृत्त हो गए और 14 मई को जस्टिस गवई को सीजेआई पद की शपथ दिलाई जाएगी।
- जस्टिस गवई विख्यात अंबेडकरवादी, पूर्व सांसद तथा कई राज्यों के राज्यपाल रहे आर.एस. गवई के पुत्र हैं।

उन्होंने वर्ष 1987 से 1990 तक बम्बई उच्च न्यायालय में स्वतंत्र रूप से वकालत की। उन्होंने वर्ष 1990 के बाद मुख्य रूप से संवैधानिक कानून और प्रशासनिक कानून में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ में वकालत की।

न्यायमूर्ति गवई को 14 नवंबर, 2003 को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किए गए थे। वह 12 नवंबर, 2005 को बम्बई उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश बने।

न्यायमूर्ति गवई ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मुंबई में मुख्य पीठ के साथ-साथ नागपुर, औरंगाबाद और

भारत-पाक युद्ध को अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया में ...

भागीदार होने के कारण ग्लोबल मीडिया में भारत एक जटिल स्थान पर है। प्रमुख मीडिया संस्थान, जो दक्षिण एशियाई पाठकों को ध्यान में रखते हैं, भारत की आलोचना करते हुए भी सावधानी बरतते हैं, ताकि पाठकों तक उनकी पकड़ बरकरार रहे और उन्हें डिजिटल प्रतिक्रिया का सामना नहीं करना पड़े।

नतीजा क्या है? एक ऐसी कहानी, जो वैश्विक स्थिरता को प्रभावित कर सकती है, उसे कभी-कभी तो किसी हॉलीवुड सेलिब्रिटी के तलाक या किसी वारयरल वीडियो से भी कम तवज्जो मिलती है। अगर अकल्पनीय घटना घटित हो जाए, अगर किसी गलती से एक बड़ा युद्ध शुरू हो जाए, तब शायद पश्चिमी मीडिया के हाइड्रड्रैकर ब्रेकिंग न्यूज दिखाना शुरू कर दें। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, उस तरह की पत्रकारिता के लिए, जो जनमत तैयार कर सकती थी, कूटनीति को प्रभावित कर सकती थी, या शायद संकट को टाल सकती थी।

एक ऐसी दुनिया में, जहाँ धारणाएं नीतियाँ तय करती हैं और सार्वजनिक दबाव निर्णयों को प्रभावित करते हैं, वहाँ इस सुस्ती को केवल पत्रकारिता की चूक नहीं, एक रणनीतिक दृष्टिहीनता कहा जा सकता है।

केन्द्र के आश्वासन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) था, जिसका उल्लंघन किया गया है। याचिका में कहा गया है कि आश्वासन के बावजूद, पंजीकृत वक्फ संपत्ति को नष्ट कर दिया गया।

के महफूज अहमद ने दायर की है। देहरादून के रहने वाले याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि राज्य प्रशासन ने बिना किसी नोटिस के दरगाह को ढा हा दिया है, जबकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधित कानून को लागू नहीं करने का आश्वासन दिया था।

याचिका में यह भी कहा गया है कि यह दरगाह 1982 में सुन्री सेन्ट्रल बोर्ड

ऑफ लखनऊ के साथ पंजीकृत थी। याचिका में दावा किया कि दरगाह पिछले 150 वर्षों से धार्मिक महत्व का एक पूजनीय स्थल रहा है और संपत्ति की वैधता साबित करने वाले प्रासंगिक दस्तावेज उनके पास हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि यह कार्रवाई मुख्यमंत्री के पोर्टल पर की गई एक सामान्य शिकायत के आधार पर की गई थी।

न्यायिक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं। इसके लिए होमगार्ड की नियुक्ति के साथ ही सीसीटीवी लगाए गए हैं। अदालत ने कहा कि झारखंड में एडीजे स्टार के अधिकारी की गोली मारकर हत्या हुई है। इस पर एजी ने कहा कि यहां भी ऐसी घटना हुई थी। जोधपुर हाईकोर्ट में समान मामले में जनहित याचिका चल रही है। उसके आधार पर एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर कार्रवाई की जा रही है। इस पर अदालत ने कहा कि अब तक मामले में जो कार्रवाई की गई है उसकी जानकारी अदालत में पेश की जाए।

गौरतलब है कि न्याय शिक्षा अपार्टमेंट में एक महिला न्यायिक अधिकारी के आवास पर चोरी की घटना हुई थी।

इसके बाद सामने आया था कि न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है, जबकि उस क्षेत्र में करीब 150 अधिकारी रहते हैं। मामले में राजस्थान न्यायिक सेवा अधिकारी संघ ने भी सीजे को पत्र लिखा था।

कुछ समय पहले, एक अन्य चैनल के एक अन्य इंटरव्यू में, थरूर इस प्रश्न के सीधे उत्तर के कगार पर पहुंच गये थे कि क्या वे निकट भविष्य में भाजपा में शामिल होंगे।

उन्होंने कहा था, “नहीं, हर पार्टी की अपनी एक आस्था और इतिहास होता है। अगर किसी पार्टी की मान्यता आपके गले नहीं उतरती है, तो आपका उस पार्टी में शामिल होना ठीक नहीं है। लेकिन स्वतंत्र रहने का विकल्प तो हमेशा ही खुला हुआ है।”

क्या “स्वतंत्र होना” कांग्रेस को छोड़ने और भाजपा में शामिल होने से पहले का “मिड स्टॉप” है?